

प्रपत्र –8 (अ-1)  
अनुसूची-3 (11) (ii)

(मध्य प्रदेश के शासकीय स्वशासी तथा निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्टेट कोटा अथवा ऑल इण्डिया कोटे से स्नातक पाठ्यक्रम (एम.बी.बी.एस.) में प्रवेशित अभ्यर्थी के लिये)

ग्रामीण सेवा बॉण्ड

सम्यक रूप से स्टापित (बंध पत्र की राशि का 0.5 प्रतिशत)

- 1— मैं, ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....  
निवासी ..... मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में  
शैक्षणिक सत्र ..... में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ।
- 2— मैंने मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018, मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 19 जून 2019  
को प्रकाशित संशोधित चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018, संशोधन दिनांक 05 अक्टूबर 2021,  
संशोधन नियम 26 जुलाई 2022, संशोधन नियम दिनांक 10 मई 2023 तथा 02 जुलाई 2024  
को भलीभांति पढ़कर समझ लिया है।
- 3— मैं एतद्वारा यह बंध पत्र निम्नशर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि :-
- अ— मैं चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम (MBBS Course) पूर्ण करने के उपरांत शासन द्वारा निर्दिष्ट  
स्थानों पर विहित अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूँगी/करूँगा।
- ब— विहित अवधि जो कि शासकीय/निजी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर एक वर्ष शासन द्वारा  
निर्दिष्ट स्थान पर सेवाएं न देने की स्थिति में मैं शासन को रु0 10 लाख (अनारक्षित वर्ग हेतु )  
रु0 5 लाख (आरक्षित वर्ग हेतु ) भुगतान करने का वचन देती/देता हूँ।
- स— अन्य पिछ़ा वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने की स्थिति में विहित अवधि  
जो कि शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर 2 वर्ष की  
सेवा देने अथवा रु0 10 लाख भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ। एवं निजी चिकित्सा  
स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 5 वर्ष की सेवा देने अथवा रु0 25 लाख भुगतान करने का  
वचन देता/देती हूँ। निजी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश होने पर बॉड का निष्पादन संचालक  
चिकित्सा सेवा के नाम से होगा।
- द— विहित अवधि जो मुख्य मंत्री जनकल्याण योजना के अन्तर्गत शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में  
प्रवेश लेने पर शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर 2 वर्ष की सेवा देने अथवा रु0 10 लाख भुगतान  
करने का वचन देता/देती हूँ। निजी चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 5 वर्ष की  
सेवा देने अथवा रु0 25 लाख भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ। निजी चिकित्सा महाविद्यालय  
में प्रवेश होने पर बॉड का निष्पादन संचालक चिकित्सा शिक्षा के नाम से होगा।
- ध— यह कि ग्रामीण सेवा न करने /बॉण्ड राशि जमा न करने की स्थिति में मेरे द्वारा महाविद्यालय  
में जमा कराये गये मूल दस्तावेज जिसमें प्रवेश के समय जमा कराये गये दस्तावेज तथा  
एम.बी.बी.एस प्रथम, द्वितीय, फाईनल पार्ट-1 एवं फाईनल पार्ट-2 की अंकसूची भी सम्मिलित हैं  
वापस नहीं किये जायेंगे।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :-

1.....

2.....